प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 30.08.2026

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा *श्री उमाशंकर त्रिपाठी* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त शिवम यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 30.08.2026 को बभनी चौराहे के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 341/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रंण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवम यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम यादव -

01. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 255/2024 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 475/2025 धारा 115(2),351(2),352,74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 490/2025 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 147/149/323/504/506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 53/2026 धारा 151(2),105 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव, हे0का0 अजय कुमार सिंह, का0 अनूप यादव, का0 अमित यादव।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता कोईल उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रभांशु कुमार राय, का0 सत्यप्रकाश।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 246 वाहनों से 02,99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 246 वाहनों से 02,99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत खलीलाबाद पुलिस ने भटकी हुई 13 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे *ऑपरेशन मुस्कान* अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घर से नाराज होकर भटक गई करीब 13 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

घटना का विवरण-

दिनाँक 30.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गोला बाजार स्थित शिव मंदिर के सामने एक बर्तन की दुकान पर बैठी है तथा अपने घर का पता/रास्ता भूल गई है। सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर बच्ची को अपनी सुरक्षा में लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा बच्ची से संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ की गई। पूछताछ एवं आवश्यक जानकारी के आधार पर बच्ची के परिजनों की पहचान की गई तथा उन्हें सूचना दी गई।

इसके उपरान्त पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल उसकी माता के सुपुर्द किया गया। बच्ची को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस की त्वरित एवं मानवीय कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस टीम का सराहनीय कार्य

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुँचकर नाबालिग बच्ची को सुरक्षित संरक्षण में लेना तथा उसके परिजनों की पहचान कर सकुशल सुपुर्द करना *ऑपरेशन मुस्कान* अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप सराहनीय कार्य है।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत धर्मसिंहवा पुलिस की कार्रवाई, युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत थाना धर्मसिंहवा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 30.08.2026 को मु0अ0सं0 91/2026, धारा 137(2), 87, 351(3) बीएनएस, थाना धर्मसिंहवा से संबंधित वांछित अभियुक्त विष्णु पुत्र सिकन्दर, निवासी ग्राम अहमदपुर ढकवा बाजार, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर को अमरहा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी द्वारा दिनाँक 13.08.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलित किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए।
इसी क्रम में आज दिनाँक 30.08.2026 को पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 मुकेश वर्मा।

संतकबीरनगर पुलिस की प्रतिबद्धता
मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई लगातार जारी है।